

From

The Sr. Coordinator,
Krishi Vigyan Kendra,
Pandu Pindara, Jind

To

The Prof & Head
Computer Section,
CCS HAU, Hisar

Memo No KVK/Jind/2026/ 295

Dated: 17/04/26

Subject:

Up-loading of Tender Notice on the official website of CCS HAU, Hisar (<http://hau.ac.in>) in down loadable format for agriculture farm work.

As per one of the requirement of contractual works tender notice isto be uploaded on the official website of CCS HAU, Hisar. So, Please find enclosed herewith a copy of tender notice. Kindly upload the same on university website. An immediate action is requested in this regard.

Thanking you.


17/4/26
Sr. Coordinator
Krishi Vigyan Kendra, Jind
CCSHAU, Hisar

चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार
कृषि विज्ञान केंद्र, पाण्डु पिंडारा, जींद

KVK/JIND/2026/282-94

Dated:-17-04-26

सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि विज्ञान केंद्र, पाण्डु पिंडारा, जींद के फार्म पर निम्न कृषि कार्यो हेतु निविदाये आमंत्रित की जाती है। इच्छुक ठेकेदार अपनी कोटेशन कृषि विज्ञान केंद्र, पाण्डु पिंडारा, जींद के कार्यालय में दिनांक 27.04.2026 को सुबह 10:00 बजे तक भिजवा दें अथवा व्यक्तिगत रूप से दे दें। निविदाये उसी दिन दोपहर 01:00 बजे खोली जाएगी। निविदाये खोलते समय यदि वह चाहे तो स्वयं उपस्थित रह सकते हैं। ठेकेदार 2 प्रतिशत अरनेस्ट मनी साथ लेकर आये।

कार्य सूची

1	बाजरा की फसल में निराई व गुड़ाई का कार्य	16.12 एकड़
2	बाजरा की कटाई, थ्रेसर से निकलवाई तथा डलवाई	16.12 एकड़
3	के. वी. के. परिसर में लगे पौधों की कटाई छटाई व रास्तो व फार्म पर मेंदों की सफाई	-

शर्तें:-

- कुटेशन 15.05.2026 से 30.09.2026 तक के लिए मान्य रहेगी वह श्रमिकों की संख्या व कार्य आवश्यकतानुसार समय-समय पर नियत की जाएगी।
- श्रमिकों की मजदूरी कार्य समाप्त होने के अगले मास की 7 तारीख तक ठेकेदार को देनी होगी।
- श्रमिकों की मजदूरी इस अनुभाग के प्रतिनिधि की उपस्थिति में देनी होगी।
- कार्य पूर्ण करने की अवधि समय-समय पर सूचित की जाएगी और जो ठेकेदार कार्य को समय पर पूरा नहीं करेगा उसका ठेका रद्द कर दिया जाएगा।
- ठेकेदार के लिए यह अनिवार्य होगा कि वह श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन जो की सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अधिनियम-1948 के अनुसार तय होगी देनी होगी।
- ठेकेदार को दो प्रतिशत आयकर देना होगा जो उसके बिल में से काट लिया जाएगा।
- बिल का भुगतान कार्य पूर्ण होने पर या 100 दिन पूर्ण होने पर जो भी इससे पहले होगा वह दिया जाएगा।
- ठेकेदार को श्रमिकों का हाजिरी रजिस्टर और मजदूरी रजिस्टर रखना होगा।
- यदि ठेकेदार एक दिन में 20 या अधिक श्रमिक कार्य पर लगाएगा तो ठेकेदार को लाइसेंस देना होगा जिसका संबंध लेबर कार्यालय से होगा।
- जिस ठेकेदार के नाम कुटेशन छूटेगी उसको समय-समय पर बताया गया कार्य निम्न हस्ताक्षरी अथवा उसके प्रतिनिधि की संतुष्टि के अनुसार करना होगा।
- कंट्रोलिंग अधिकारी को हक होगा कि वह ठेके की अवधि से पहले भी ठेका रद्द कर सकता है।
- ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी वह प्रत्येक श्रम कानून का पालन करें तथा इसकी अवहेलना करने पर स्वयं उत्तरदाई होगा।


वरिष्ठ संयोजक

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ भेजी जाती है:-

- नोटिस बोर्ड, कृषि विज्ञान केंद्र, पाण्डु पिंडारा, जींद
- नगर परिषद् जींद
- सरपंच ग्राम पंचायत पांडू पिंडारा, निडानी, निडाना, मनोहरपुर, निर्जन, अहीरकां
- जिला श्रम अधिकारी लघु सचिवालय जींद
- जिला रोजगार कार्यालय जींद
- जिला उपायुक्त कार्यालय, जींद
- विस्तार शिक्षा निदेशक, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार

Sr. Coordinator
Krishi Vigyan Kendra, Jind
CCSHAU, Hisar


17/4/26